तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/3705/2018/गंगानगर तारावती बनाम कृष्णलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री प्रदीप मेहरा, अधिवक्ता प्रार्थी ।

श्री अमृतपाल सिंह वानर, अधिवक्ता अप्रार्थीगण ।

निर्णय

दिनांकः–22.09.2022

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंर्तगत धारा 84 की सपठित धारा 9 विद्वान तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा उनवान तारावती बनाम कृष्णलाल वगैरह में पारित किए गए निर्णय दिनांक 28.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 86 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विद्वान तहसीलदार, सादुलशहर के समक्ष इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक नंबर 17 एस.डी. एम. के खाता संख्या 17 में कुल 97 बीघा के खाता में 43 बीघा 13 बिस्वा भूमि रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि में फर्जी एवं गलत तरीके से अपना हिस्सा तय करवाने के लिए अप्रार्थीगण की माता सुगना देवी पत्नि मोमनराम जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान ने एक वाद सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर के न्यायालय में दायर किया था जिसमें वादिया ने गलत तथ्य अंकित करके सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर की कोर्ट से गलत डिक्री हासिल कर ली थी फर्जी एवं गलत तथ्यों पर आधारित डिक्री को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प बीकानेर द्वारा दिनांक 22.07.1974 को निरस्त कर दी गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण की माता सुगना देवी पत्नि मोमनराम द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प बीकानेर के आदेश की अपील माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में दायर की गयी थी, जिसका मुकदमा नंबर 136/1974 था। माननीय राजस्व मण्डल में दौराने विचारण द्वितीय अपील पक्षकार सुगनी देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/3705/2018/गंगानगर तारावती बनाम कृष्णलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बनाम जैनी, तारावंती का आपस में राजीनामा हो गया व राजीनामा के आधार पर दिनांक 19.01.1976 को सुगना देवी को चक नंबर 17 एस.डी.एम. के मुरब्बा नंबर 39 के किला नंबर 1,2,3,6,7,8,9,19 कुल 8 बीघा भूमि दी गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश के विपरीत इंतकाल संख्या 35 खाता संख्या 17 में मुरब्बा नंबर 31 के रकबा का अप्रार्थीगण की माता के नाम दर्ज कर दिया गया था जो वर्तमान में उक्त रकबा चक नंबर 17 एस.डी.एम. के खाता संख्या 89/70 में सुगनी देवी के फौत होने के बाद विरासतन अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। यह इंतकाल मुरब्बा नंबर 39 के रकबा का करने के बजाय मुरब्बा नंबर 31 की 8 बीघा का दर्ज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीया द्वारा विद्वान तहसीलदार महोदय, सादुलशहर के समक्ष एक रिव्यु पिटीशन एल.आर. एक्ट के तहत दायर की जो उनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.02.2018 द्वारा खारिज कर दी गई। उक्त आदेश दिनांक 28.02.2018 से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है । उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी –निगरानीकर्ता ने बहस में कथन किया कि विद्वान तहसीलदार, सादुलशहर का आदेश दिनांक 28.02.2018 न्याय, नियम व रिकार्ड के विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है । विद्वान तहसीलदार महोदय, सादुलशहर ने इस बात को नजरअंदाज किया कि प्रस्तुत निर्णय राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। तहसीलदार महोदय, ने इस बात कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेशों के विपरीत इंतकाल संख्या 35 के द्वारा खिलाफ कानून व गलत तरीके से मुरब्बा नंबर 39 की किला नंबर 1,2,3,6,7,8,9,10 कुल 8 बीघा का करने के बजाय मुरब्बा नंबर 31 की 8 बीघा भूमि का इंतकाल दर्ज कर दिया गया जबकि अप्रार्थीगण का मुरब्बा नंबर 31 के रकबा में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं बनता था। अप्रार्थीगण की माता सुगनी देवी मुरब्बा नंबर 39 के 8 बीघा रकबा की हकदार थी। इन सब कानूनी बिन्दुओं को विद्वान तहसीलदार, सादुलशहर ने नजरअंदाज करते हुए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/3705/2018/गंगानगर तारावती बनाम कृष्णलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	त्रुटि की है इसलिए उनके द्वारा पारित निर्णय काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थीया द्वारा दिनांक 28.02.2018 को रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व उसी दिन विद्वान तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा यह कहते हुए कि यह रिव्यु प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 86 (2) के पेश किया गया है। इस धारा के अध्ययन से प्रकरण चक 17 एस.डी.एम. के इंतकाल संख्या 35 निर्णय दिनांक 23.10. 1977 के संबंध में पेश किया गया है। इस धारा के अंतर्गत रिव्यू पेश करने की मियाद 30 दिन की है और दोनों पक्षकार प्राइवेट व्यक्ति हो तो मियाद 90 दिन की है। यह रिव्यू प्रकरण मियाद से बाहर 41 वर्ष बाद पेश हुआ है जो नियमानुकूल नहीं होने से रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। विद्वान तहसीलदार महोदय, सादुलशहर द्वारा निगरानी के मियाद बिन्दु को निर्णित किए जाने से पूर्व प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया जाना आवश्यक है लेकिन विद्वान महोदय द्वारा ऐसा नहीं किया जाकर मियाद को निरस्त कर विधिविरूद्ध व कानूनी भूल की है। अतः विद्वान तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे अथवा निर्णय दिनांक 28.02.2018 की पालना व प्रभाव को ताफैसला निगरानी स्थगित किया जावे । विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, सादुलशहर के समक्ष रिव्यु पिटीशन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 86 (2) एल.आर एक्ट के तहत नामांतकरण संख्या 35 निर्णय दिनांक 23.10.77 के विरूद्ध दिनांक 28.2.2018 को पेश किया गया है को लगभग 41 वर्ष बाद भारी मियाद बाहर पेश किया है। जबकि इस धारा के अंतर्गत रिव्यु पेश करने की मियाद 90 दिन की है। तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज किया है, जो विधिसम्मत् निर्णय है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे। हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अधोपांत अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रार्थी ने तहसीलदार, सादुलशहर के समक्ष रिव्यू पीटिशन अंतर्गत धारा 86 (2) भू-राजस्व अधि0 1956 के तहत इंतकाल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/3705/2018/गंगानगर तारावती बनाम कृष्णलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संख्या 35 निर्णय दिनांक 23.10.1977 के विरूद्ध लगभग 41 वर्ष उपरांत पेश की थी जबकि धारा 86 (2) भू-राजस्व अधि0 1956 के अंतर्गत रिव्यू पेश करने की मियाद 30 दिवस तथा दोनों पक्ष प्राईवेट हो तो 90 दिवस है । प्रार्थी द्वारा 41 वर्षो तक इंतकाल संख्या 35 के विरूद्ध चाराजोही नहीं किए जाने के संबंध में कोई संतोषप्रद एवं ठोस कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किए है । तहसीलदार, सादुलशहर ने प्रकरण भारी मियाद बाहर पेश किए जाने से खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । परिणामत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.2.2018 यथावत् रखा जाता है । निर्णय की सूचना जरिये कम्प्यूटर उभयपक्ष को दी जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफतर हो। तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामदयाल मीणा)** **सदस्य**	